भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2085

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

न्यायालयों में गरिमा का उल्लंघन

+2085. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायालय कक्षों में मर्यादा के उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या न्यायालय परिसर में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या हाल के वर्षों में अधिवक्ताओं या वादियों द्वारा कदाचार के मामलों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है;

(घ) क्या न्यायालय के अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच समन्वय है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का न्यायालय कक्षों के भीतर अवमानना और कदाचार से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार, उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी न्यायालयों पर प्रशासनिक अधीक्षण का प्रयोग करता है । केंद्रीय सरकार न्यायालय कक्षों में मर्यादा के उल्लंघन की घटनाओं पर नज़र रखने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं रखती है।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) को न्यायालय में, मुवक्किलों के साथ और साथी अधिवक्ताओं के प्रति अधिवक्ताओं द्वारा बनाए जाने वाले आचरण और पेशेवर शिष्टाचार के मानकों से संबंधित नियमों को निर्धारित करने का अधिकार है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् और राज्य विधिज्ञ परिषद्, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन दोषी अधिवक्ता (अधिवक्ताओं) के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अधीन अधिवक्ता को अभियोजित किया जा सकता है, और उसे (i) अनुशासन, (ii) अनुज्ञप्ति का निलंबन और (iii) राज्य विधिज्ञ परिषद् की नामावली से नाम हटाने का दंड भी दिया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि उसने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन पेशेवर कदाचार या अन्य कदाचार कारित किया है।

भारत का माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वे अपने नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार न्यायालयों कक्षों में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखते हैं।

तारीख 21.07.2026 के परिपत्र के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक संकल्प अधिसूचित किया है जिसके अनुसार, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्षों के विघटनकारी आचरण के परिणामस्वरूप होने वाली अवांछनीय घटनाओं में, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्ष को आभासी माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प दिया जाएगा। तथापि, यदि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्ष केवल शारीरिक उपस्थिति पर जोर देता है, तो ऐसी उपस्थिति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा और कार्यवाही की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

न्यायालय कक्ष में मर्यादा भंग करने की घटनाओं से भी न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अधीन निपटा जा सकता है, जो न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने में कतिपय न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करता है। अधिनियम में अन्य बातों के अतिरिक्त किसी भी मामले के प्रकाशन (चाहे शब्दों, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या किसी अन्य कार्य को करने को संबोधित किया गया है जो--- (i) किसी भी न्यायालय की गरिमा को कलंकित करता है या कलंकित करने की प्रवृत्ति रखता है, या कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या (ii) किसी भी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम को पूर्वाग्रह करता है, या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या (iii) किसी भी रूप से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है।

(ङ.) : न्यायालय कक्षों के भीतर अवमानना और अवचार का निदान करने के लिए विद्यमान विधियों में संशोधन करने के लिए वर्तमान में कोई विधायी प्रस्ताव लंबित नहीं है।
